न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 122/2017 **दिनांक 24.07.2017**

उनवान

1. मन्जू बाई आयु 32 वर्ष पुत्री बद्रीलाल जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां (राज0) **प्रार्थीया**

बनाम

1. शिवराज पुत्र छीतरलाल जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
2. राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
3. हीरालाल पुत्र जयलाल जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
4. रामलाल पुत्र जयलाल जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
5. बनवारी पुत्र कन्हैयालाल जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
6. दोलतराम पुत्र बजरंग जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
7. जगदीश पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
8. मेघराज पुत्र बाबूलाल जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
9. भंवरलाल पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
10. चतुर्भज पुत्र नेनगा जाति मेघवाल निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
11. भोजराज पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू
12. मांगीलाल पुत्र गजानन्द जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
13. गोपाल पुत्र बिरधीलाल जाति मीणा निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां
14. बबलू पुत्र बाबूसिंह राजपूत निवासी हरनावदा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थीः— विद्धान अभिभाषक श्री बद्री लाल नागर।

अप्रार्थीगणः— विद्धान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

—::निर्णय::— दिनांक 12 / 02 / 2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट0 का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल हरनावदा पटवार क्षेत्र ढोटी तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 75 का ख0न0 378 का रकबा 1.85 है0 आराजी प्रार्थीया के दर्ज खाता चली आ रही हैं। प्रार्थना पत्र के साथ नकल नवीन जमाबन्दी प्रार्थीया, नक्शा ट्रेश एवं नजरी नक्शा, संलग्न हैं। जो काबिल गोर हैं। प्रार्थीया के स्वामित्व की आराजी पर आने—जाने का स्थाई रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 तथा अप्रार्थी क्रम 11 से 14 के खेतों के मध्य स्थित चरागाह भूमि में होकर हैं। प्रार्थीया व उसका पति उसी रास्ते पर होकर निकलते चले आ रहे हैं। इस रास्ते को प्रार्थीया व उसका पति पिछले कई वर्षो से खेत पर आने—जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने के उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 14 ने योजनाबद्ध तरीके से पहले तो स्थाई रास्ते को हाकंकर अपने खेतों में मिला लिया तथा इस वर्ष जुलाई 2017 में फसल बुआई कर रास्ता बन्द कर दिया। प्रार्थीया व उसके पति ने मना किया तो अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 14 ने प्रार्थीया व उसके पति को धमकी दी कि हम अब इस रास्ते से नही निकलने देंगे अगर निकलने का प्रयास किया तो हाथ पैर तोड़ देंगे व जान से मारने की धमकी दी। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा रास्ता चरागाह भूमि में होकर होने से तहसीलदार साहब अटरू को अप्रार्थी क्रम 15 बनाया गया हैं। चरागाह भूमि में से होकर 10 फीट चोड़ा रास्ता दर्ज करने से प्रार्थीया व आस—पास के खेत वालों को खेतों पर जाने में सुविधा होगी व अनेकानेक वाद—विवादों में उलझना नहीं पड़ेगा। बिना सहायता न्यायालय अप्रार्थीगण को उनके द्वारा किये जा रहे हैं अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य से रोका जाना सम्भव नही हैं अगर अप्रार्थीगण अपने अवैधानिक एवं गैर कानूनी कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थीया अपने स्वामित्व की आराजी पर आने—जाने से वंचित हो जावेंगी। जिससे प्रार्थीया व उसका पति समय पर अपने खेत को नही हंकवा सकेंगे, सिंचाई नहीं कर सकेंगे तथा आराजी पड़त रह जावेगी तथा रास्ते के अभाव में प्रार्थीया व उसके पति को अनेक परेशानियों का सामना करना पडेगा। जिसके फलस्वरूप प्रार्थीया व उसके पति को अपरिमित क्षति होगी, जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं हैं तथा प्रार्थीया व उसके पति को अनेकानेक वाद—विवादों में उलझना पड़ेगा। अत : प्रार्थीया प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करती हैं कि अप्रार्थीगण प्रार्थीया की आराजी पर आने जाने हेतु चरागाह भूमि पर स्थाई रास्ता 10 फुट चौड़ाई में रखे तथा प्रार्थीया व उसके पति को उनके खेत पर पूर्व की भांति आने

जाने के रास्ते का उपयोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाले तथा चरागाह भूमि में से 10 फीट चोड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। विवादग्रस्त रास्ता एवं आराजी वाके ग्राम एवं माल हरनावदा तहसील अटरू जिला बारां में स्थित हैं जिसका क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यों पर आधारित हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थीया प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करती हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 75 का ख0न0 378 का रकबा 1.85 है0 आराजी पर आने–जाने का रास्ता चरागाह भूमि में से 10 फीट चोड़े रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें। क्योंकि उक्त रास्ता पुराने समय से बना हुआ हैं। उसका उपयोग–उपभोग प्रार्थीया को पूर्व की भॉंति करने देंवे जिसमें किसी प्रकार का अवरोध अप्रार्थीगण पैदा नहीं करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई अप्रार्थी क्रम 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थीगण 1, 5, 7, 8, 9, 11, 14 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 कानूनी है। अनुतोष प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अस्वीकार है। अन्य कारण बवक्त मौखिक निवेदन किये जावेंगे।

–::विशेष आपत्तियॉं::–

प्रार्थीया द्वारा दर्शाया गया रास्ता अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 के खेतों के मध्य मेढ़ पर होकर कभी नही रहा है। न ही प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 की आराजी के ख0नं0 दावा मे अंकित नही किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थीया अपने पूर्वजों की आराजी ख0नं0 378 पर गांव हरनावदा से डाकड़ा वाले कुंए के रास्ते का ही उपयोग व उपभाग करते चले आ रहे है। व डाकड़ा के कुंए से रामेश्वर के खाते की मेढ़ पर होकर अपनी आराजी ख0नं0 378 पर कृषियंत्र व ट्रेक्टर, बैलगाड़ी का उपयोग व उपभोग करती चली आ रही है। जो हरनावदा गांव से खेतों के रास्ते से प्रार्थीया का खेत 1/2 कि0मी0 दूर है। और जलवाड़ा

वाले रोड़ से होकर प्रार्थीया का खेत 1.5 कि0मी0 दूर है व प्रार्थीया अप्रार्थीगण से रंजिश रखते हुए 1 लगायत 14 के खेतों के मध्य मेढ़ पर होकर प्रार्थना पत्र में गलत तथ्यों के आधार पर रास्ता मांग रही है। जो विधि विरूद्ध है इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये गये ए,बी,सी,डी,ई,एफ रास्ते का ही है। प्रार्थीया उपयोग व उपभोग रास्ते के रूप में करती चली आ रही है। इसलिए प्रार्थीया के ख0नं0 378 आराजी पर जाने का रास्ता है। इसलिए प्रार्थीया को अप्रार्थीगण 1 लगायत 14 के खेतों के मध्य रास्ता मांगने का कोई अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहक मौखिक निवेदन किए जावेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार अटरू से मौका रिपोर्ट ली गई, तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक 1343 दिनांक 27.11.2019 से मौका रिपोर्ट पेश की जिसमें कथन किया गया कि ग्राम हरनावदा में मौका रिपोर्ट ली वस्तुस्थिति जानकारी की वादी मंजूबाई पुत्री बद्रीलाल जाति मीना निवासी हरनावदा आराजी नं0 378 रकबा 1.85 है0 भूमि वास्ते रास्ता लेने के लिए चारागाह खातेदारी भूमि से माल आराजी नं0 460 रकबा 4.59 है0 ख0नं0 457 रकबा 1.33 है0 भूमि चारागाह की आती है। जबकि वर्तमान में आराजी नं0 460 पर राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद, लोकेश पुत्र हीरालाल, बनवारी लाल पुत्र कन्हैयालाल दिलीप पुत्र बाबू सिंह, आराजी नं0 457 पर गोपाल का अतिक्रमण है जो कि हर साल वाके रिपोर्ट होती है। और आराजी नं0 456 चतरा पुत्र नेनगा कोम चमार सा0देह का खातेदारी भूमि है। आराजी नं0 455 वद्रीलाल पुत्र हजारी लाल जाति मीना सा0देह का खातेदारी भूमि है।

अतः चारागाह भूमि 2816 वर्ग मीटर और खातेदार भूमि 512 वर्ग मीटर भूमि रास्ते वास्ते होती है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि खाता संख्या 75 का ख0नं0 378 का रकबा 1.85 है0 पर आने जाने हेतु रास्ता चारागाह भूमि से 10 फीट चोडा दिलाया जावें। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि प्रार्थीया अप्रार्थीगण 1 ल 14 के खेतों के मध्य मेड पर होकर कभी भी रास्ता नही रहा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार ग्राम हरनावदा की ख0नं0 378 रकबा 1.85 है0 भूमि में आने जाने हेतु सुगम रास्ता चारागाह व खातेदारी भूमि आराजी ख0नं0 460 रकबा 4.59 है0 ख0नं0 457 रकबा 1.33 है0 व चारागाह ख0नं0 460, 457, 456, 455 में से दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। न्यायहित में वादिया को अपने खेत पर आने जाने कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु दिया जाना उचित है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम हरनावदा की ख0नं0 378 रकबा 1.85 पर पहुंच हेतु चारागाह भूमि ख0नं0 460, 457, में से 10 फुट चोडा (यानि 2816) वर्गमीटर तथा ख0नं0 456 में से चतरा पुत्र नेनगा को 52 मीटर ख0नं0 455 में से 76 मीटर बद्रीलाल पुत्र हजारी की खातेदारी में से कुल 512 वर्गमीटर भूमि डीएलसी का दुगना जमा कराने की शर्त पर दिये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार नियमानुसार राशि जमा करवाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 14:38:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: